

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019—कार्तिक 3, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्र. 84 (13)-वि.निर्वा.-चार-2019-उपचुनाव-227.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (43 सन् 1951) की धारा 67 के उपबंधों के अनुसरण में 193-झाबुआ (अ. ज. जा.) विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु संपन्न हुए उप चुनाव के परिणाम की घोषणा (प्ररूप 21-घ) जिनमें निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अन्तर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं.

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21-घ

(नियम 64 देखें)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

मध्यप्रदेश (राज्य) के 193-झाबुआ (अ. ज. जा.) निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए उप निर्वाचन

193-झाबुआ (अ. ज. जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्यप्रदेश (राज्य) की विधानसभा के लिए उप निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता/करती हूँ कि—

श्री कांतिलाल भूरिया, पता 121, गोपाल कालोनी झाबुआ, जिला झाबुआ, म. प्र. (जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए हैं.

उस सदन में,

श्री गुमानसिंह डामोर के पदत्याग के कारण श्री गुमानसिंह डामोर का स्थान रिक्त हो जाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं.

स्थान : झाबुआ

तारीख : 24 अक्टूबर 2019

हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर

**Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)**

FORM 21 D

(See Rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951

**Election to the Legislative Assembly of Madhya Pradesh from 193-Jhabua (S.T.) Assembly
Constituency**

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Kantilal Bhuria, 121, Gopal Colony, Jhabua District Jhabua M.P. (Address) (sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri Guman Singh Damor, seat of Shri Guman Singh Damor having become vacant.

Place : Jhabua

Date : 24th October 2019

Signature

Returning Officer